1/5/12

सेवा में,

निदेशक (योजना),
छटी मंजिल, विकास मीनार,
नई दिल्ली - 110002.

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2391
Dated 4/5

विषय:- दिल्ली मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा हेतु सुझाव ।

माननीय,

हमारे बीच डी.डी.ए के सभी मुख्य अधिकारीगण आये हैं, जिन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक हमारी समस्याओं को सुना और समझा । इन्होंने हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला । इसके लिए हम सभी अधिकारीगणों के आभारी हैं । माननीय अधिकारीगण निम्नलिखित समस्याएँ ऐसी हैं जिससे हम सभी गांवों वासी बुरी तरह से पीड़ित हैं ।

1. गाँवों के लाल डोरे के बाहर चारों तरफ कम से कम 500 मीटर चौड़ी पट्टी ग्राम वासियों के उपयोग हेतु छोड़ी जाये । इस भूमि में पार्क, पार्किंग, हरी पट्टी, खेल के मैदान, अस्पताल, विद्यालय व मार्किट आदि विकसित करके गाँव वालों को सुविधा दी जाये ।

2. लाल डोरे के बाहर निजि कृषि भूमि पर बने सभी निर्माण (कच्चा, पक्का, झोंपड़ी पशुघर, अनाज गोदाम, भूसा गोदाम आदि) को बिना शर्त नियमित करके बुनियादी सुविधाएं दी जायें तथा अधिग्रहण से मुक्त रखा जाये ।

3. लाल डोरे के बाहर व अन्दर निजि भूमि पर बने सभी निर्माणों की मिक्सड लैंड यूज की अनुमति दी जाये ।

4. सभी अनाधिकृत कालोनियों में 1000 वर्ग गज में फ्लैट/फ्लोर बनाने की अनुमति दी जाये ।

5. सभी अनाधिकृत कालोनियां जिनको नियमितिकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा चुके हैं, उन्हें बिना शर्त विकसित क्षेत्र घोषित किया जाये ।

6. सभी गाँवों के लिए सड़क कम से कम 100 फुट की होनी चाहिए ।

7. 80 फुट चौड़ी सड़क पर मोटल बनने की अनुमति होनी चाहिए ।

AD(PS)I 4/5

...2

8. निजि कृषि भूमि पर बने सभी गोदाम, स्कूल, खेल के मैदान, फार्म हाउस व शादी के मंडप (जहाँ विवाह सम्बंधी कार्यक्रम होते हैं) आदि को बिना शर्त मान्यता दी जाये । सिरसपुर, खेड़ा कलां व खेड़ा गढ़ी में बने सभी गोदामों को नियमित किया जाये बिना शर्त के ।

9. गांवों वालों को अपनी मर्जी के अनुसार कृषि भूमि को बेचने का अधिकार हो । किसान पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए व न ही कानून की रोकथाम हो । यदि किसान अपनी जमीन किसी निजि संस्था या सरकार को बेचता है तो उसे अपनी जमीन से होने वाली आय का आधा हिस्सा किसान को भी मिलता रहना चाहिए ।

कृषि भूमि के निर्माण को सरकार अनाधिकृत निर्माण करती है । मेरा मानना है कि यह अनाधिकृत निर्माण नहीं है, बल्कि अधिकृत निर्माण है । क्योंकि 1907-08 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों के चारों तरफ एक रेखा खींच दी । उस रेखा का नाम "लाल डोरा" रख दिया और लाल डोरे की रेखा के अन्दर को गांव की आबादी घोषित किया व लाल डोरा रेखा से बाहर कृषि भूमि घोषित किया ।

आजादी के बाद भारत सरकार ने 1952-53 में दिल्ली के सभी गांवों का किला बन्दी किया जिसका नाम चकबन्दी दिया गया । किला बन्दी में एक कीला (एक एकड़) का क्षेत्रफल 4 बीघा 16 बिसवा किया गया व गांवों के चारों तरफ 16 फुट का रास्ता छोड़ दिया गया जिसका नाम "फिरनी" दिया गया, लेकिन गांव वालों के रहने के लिए लाल डोरे में जमीन नहीं बढ़ाई गई । 104 साल में आज गांव की आबादी 25 गुणा हो गई है व रहने के लिए भूमि उतनी ही है जितनी 1907-08 में थी । अतः गांवों वालों को मजबूर होकर अपनी कृषि भूमि पर पर मकान आदि बना कर रहने लगे, जिसको सरकार अनधिकृत निर्माण कहती है ।

आज हम इतने निःसहाय बेबस और कमजोर हैं कि अपनी ही भूमि पर मकान, उद्योग धन्धे नहीं बनाकर रह सकते और बहुत हिम्मत कर कुछ थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं तो उसे अनिधकृत निर्माण कहकर उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है । हमें बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हालत कभी-2 ऐसी हो जाती है कि हमारे पास जो छोटी मोटी पूंजी इधर उधर से कर्ज की होती है, वह भी बर्बाद हो जाती है । यहाँ तक कि कभी-2 लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं और कभी-2 जिन्दगी से भी हाथ धोना पड़ता है ।-ऐसी है हमारी दुर्दशा ।

सांच को आंच क्या । आज मैं आपके सामने एक कडवा सच्च रखने जा रहा हूँ जिससे आप सब सहमत होंगे । जब सरकार चाहती है कि किसी भी कृषि भूमि, हरी पट्टी में उद्योग व मल्टी स्टोरी इमारत व फ्लैट बनाने के लिए बिल्डरों को

उद्योगपतियों को दे दिया जाता है । अगर यही मांग हम दिल्ली के गावों वासी अपनी रोजी रोटी के लिए मकान, उद्योग बनाने के लिए अपनी ही भूमि का उपयोग करते हैं तो सरकार इसे अनाधिकृत निर्माण घोषित करती है ।

मैं आप सबके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम किसान क्या अपनी रोजी रोटी तथा मकान के लिए अपनी भूमि पर घर, उद्योग, पशु घर व मकान आदि बनाने की मांग करते हैं तो यही काम नाजायज है और यदि कार्य सरकार करती है तो यह जायज है । और हम करते हैं तो वह नाजायज है ।

हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्याओं का निदान विवेकपूर्ण ढंग से करते हुए समस्याओं का समाधान करें । ये सभी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे जो सरकारी की परियोजना है, उनमें बढ़ोतरी तो होगी और साथ ही जन कल्याण की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा ।

आज सभी आजाद हो गये, फ्फर यह कैसी आजादी,

वक्त और अधिकार मिले, फिर से कैसी बर्बादी,
संविधान में दिये हकों से, परिचय हमें करना है,
भारत को खुशहाल बनाने में, आज किसान को बसाना है ।

धन्यवाद सहित,

(जयपाल राणा)
गांव - खेड़ा गढ़ी, खेड़ा कलां,
दिल्ली - 110082.
(मो0) 9818195398

दिनांक : 1-5-2012